NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन

(Structure and Management of Education)

B.E.S.C.-132

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Dr. Kusam Kumari*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन
(Structure and Management of Education)

Question Paper—December-2023 (Solved) 1

Question Paper—June-2023 (Solved) 1

Question Paper—December-2022 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held In July-2022 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

खंड-1 : संवैधानिक प्रावधान एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य
(CONSTITUTIONAL PROVISIONS AND POLICY PERSPECTIVES)

1. शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान 1
   (Constitutional Provisions for Education)
2. शैक्षिक आयोग : एक समीक्षा 15
   (Educational Commission: A Critique)
3. भारत में शैक्षिक नीतियाँ 24
   (Educational Policies of India)
4. शिक्षा में उभरते मुद्दे व चिंताएँ 36
   (Emerging Issues and Concerns in Education)

खंड-2 : विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन
(STRUCTURE AND MANAGEMENT OF SCHOOL EDUCATION)

5. भारत में विद्यालयी शिक्षा : एक अवलोकन 45
   (School Education in India: An Overview)
6. पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा 53
   (Pre-Primary and Elementary Education)
7. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा 66
   (Secondary and Senior Secondary Education)
8. व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा 77
   (Vocational and Technical Education)

खंड-3 : उच्च शीक्षा का स्वरूप और प्रबंधन
(STRUCTURE AND MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION)

9. भारत में उच्च शिक्षा : एक परिचय..... 88
(Higher Education in India: An Introduction)

10. महाविद्यालयी तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा..... 95
(College and University Education)

11. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा..... 103
(Technical and Professional Education)

12. मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम एवं ऑनलाइन शिक्षा..... 112
(Open and Distance Learning and Online Learning)

खंड-4 : शैक्षिक प्रबंधन में समकालीन धाराएँ
(RECENT TRENDS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT)

13. वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण एवं निजीकरण..... 122
(Globalization, Internationalization and Privatization)

14. गुणवत्ता सुनिश्चयन और प्रबंधन..... 132
(Quality Assurance and Management)

15. संस्थागत उत्तरदायित्व और स्वायत्तता..... 142
(Institutional Accountability and Autonomy)

16. शैक्षणिक प्रबंधन के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT)..... 148
(ICT for Educational Management)

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन

(Structure and Management of Education)

B.E.S.C.-132

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट: **प्रश्न-पत्र में तीन खण्ड हैं। खण्ड 'अ' से किन्हीं दो, खण्ड 'ब' से किन्हीं चार और खण्ड 'स' से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

खण्ड–अ

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या थीं? इसके निहितार्थों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-16, 'शिक्षा आयोग (1964-66)'

प्रश्न 2. विविध प्रकार की केन्द्र प्रायोजित विद्यालय पद्धतियों (सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कूल सिस्टम्स) और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनके योगदान की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-66, 'केंद्रीय स्तर', पृष्ठ-70, 'सरकार द्वारा प्रबंधित विद्यालय'

प्रश्न 3. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) के मार्गदर्शक सिद्धान्त कौन-से हैं? इसके प्राथमिक घटकों (प्राइमरी कम्पोनेन्ट्स) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-90, 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)'

प्रश्न 4. स्वशासन/स्वायत्तता (ऑटोनामी) का क्या अर्थ है? गुणवत्ता आश्वासन के लिए उसके लाभ सहित शैक्षिक संस्थान में आवश्यक विविध प्रकार के स्वशासनों/स्वायत्तताओं (ऑटोनोमीज) की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-15, पृष्ठ-143, 'संस्थान की स्वायत्तता की आवश्यकता एवं स्वायत्तता की प्रकृति एवं प्रकार'

खण्ड–ब

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 5. भारत में प्रतिफल आधारित शिक्षा (आउटकम बेस्ड एजूकेशन) से सम्बन्धित विविध मुद्दों की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-38, 'अधिगम प्रतिफल पर आधारित शिक्षा के मुद्दे'

प्रश्न 6. भारत में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका और उसके महत्त्व की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-79, 'व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका तथा महत्त्व'

प्रश्न 7. भारत में शिक्षा पद्धति को आकार प्रदान करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) किस प्रकार योगदान देता है? समझाइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-64, प्रश्न-1

प्रश्न 8. विश्वविद्यालय की प्रशासन प्रणाली में न्यायालय/सीनेट (कोर्ट/सीनेट) की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-97, 'अधिसभा', पृष्ठ-99, प्रश्न-5

प्रश्न 9. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) की भूमिका और प्रकार्यों की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-105, 'नियामक तंत्र', 'NMC की संरचना'

प्रश्न 10. शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की संस्तुतियाँ कौन-सी हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-124, 'शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020'

प्रश्न 11. ऑनलाइन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? इसके लाभों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-12, पृष्ठ-114, 'ऑनलाइन शिक्षा'

खण्ड–स

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 12. किसी एक विद्यालय प्रबन्धन उपकरण (स्कूल मैनेजमेंट टूल) की भूमिका और प्रकार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-16, पृष्ठ-149, 'विद्यालय प्रबंधन उपकरण'

प्रश्न 13. गुणवत्ता आश्वासन में नैक (एन.ए.ए.सी.) की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-134, 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)'

प्रश्न 14. शिक्षा में सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप–पी.पी.पी.) के क्या लाभ हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-127, प्रश्न-1

प्रश्न 15. भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विविध संस्थानों/ढाँचों (इन्स्टीट्यूशन्स/स्ट्रक्चर्स) की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-56, प्रश्न-1

■■

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन

(Structure and Management of Education)

B.E.S.C.-132

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट: **प्रश्न-पत्र में तीन खण्ड हैं। खण्ड 'अ' से किन्हीं दो, खण्ड 'ब' से किन्हीं चार और खण्ड 'स' से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

खण्ड–अ

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. भारत के संविधान में किये गये प्रावधान देश में समानता के विविध रूपों को किस प्रकार बढ़ावा देते है? देश में समानता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-1, 'संविधान की प्रस्तावना'

प्रश्न 2. माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एन.पी.ई. 2020) के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियों की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-26, 'राष्ट्रीय-शिक्षा नीति, 2020'

प्रश्न 3. किसी विश्वविद्यालय में मुख्य निर्णयन निकाय (डिसीजन मेकिंग बांडीज) कौन से हैं? विद्वत् परिषद (एकेडेमिक कौंसिल) और अध्ययन बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्टडीज) की भूमिका का सविस्तार प्रतिपादन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-96, 'महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रबंधन'

प्रश्न 4. शैक्षिक व्यवहारों में गुणवत्ता-सुधार के लिए गुणवत्ता-सूचकों का क्या महत्व है? माध्यमिक विद्यालयों के लिए विविध गुणवत्ता सूचकों की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-133, 'गुणवत्ता के संकेतक'

खण्ड–ब

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के अन्तर दीजिए।

प्रश्न 5. माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुतियों की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-16, 'माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ', पृष्ठ-21, प्रश्न-4

प्रश्न 6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन में कार्य योजना (प्रोग्राम ऑफ एक्शन–पी.ओ.ए.) ने किस प्रकार सहायता की? परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-25, 'क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) : निहितार्थ और आलोचना', पृष्ठ-29, प्रश्न-6

प्रश्न 7. भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा (इन्क्लूसिव एजूकेशन) से सम्बद्ध विविध मुद्दों और सरोकारों की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-37, 'समावेशी शिक्षा से संबंधित मुद्दे'

प्रश्न 8. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को सुनिश्चित करने में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) की भूमिका का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-63, प्रश्न-3

प्रश्न 9. भारतीय शिक्षा पद्धति पर वैश्वीकरण के लाभों और प्रभावों की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-123, 'वैश्वीकरण के लाभ', 'वैश्वीकरण का प्रभाव'

प्रश्न 10. उच्च शिक्षा के लोकतन्त्रीकरण के लिए मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ओ.डी.एल.) किस प्रकार योगदान करता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-90, 'मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL)'

प्रश्न 11. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की भूमिका और प्रकार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-71, प्रश्न-5

खण्ड–स

नोट : निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 12. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) द्वारा संचालित किये जा रहे विविध प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-50, प्रश्न-7

प्रश्न 13. विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-28, प्रश्न-3

प्रश्न 14. मदरसों के लिए गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम.) के योगदान की परिचर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-69, 'मदरसों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना'

प्रश्न 15. भारत में परम्परागत शैक्षिक व्यवहारों को मूक (एम.ओ.ओ.सी) किस प्रकार रूपान्तरित (ट्रान्सफॉर्म) करता है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-90, 'MOOC - मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (व्यापार मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम)'

■■

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

शिक्षा का स्वरूप और प्रबंधन
(Structure and Management of Education)

शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान
(Constitutional Provisions for Education)

1

परिचय

भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ और भारतीय संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। यहां सभी जाति समाज तथा धर्मों को एक समान अधिकार दिये गये हैं, किंतु राष्ट्र के सभी वर्ग अपने अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकते हैं, जब वे शिक्षित होंगे। इस स्थिति को समझकर भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने वाले कई अनुच्छेद हैं। लेकिन शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। भारतीय संविधान में 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। इस विधेयक के अनुसार 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। वर्ष 2009 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून का पास होना, भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण था।

अध्याय का विहंगावलोकन

संविधान की प्रस्तावना

संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्र भारत की आत्मा है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान की मूल उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। प्रस्तावना में कहा गया है, ''हम भारत के लोग, भारत को एक सर्वप्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं।'' प्रस्तावना में एक राज्य के रूप में भारत की पांच प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है। हम भारत के लोग शब्द में यह सुनिश्चित किया गया है कि समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे और न्याय तक सभी की समान पहुंच होगी तथा सभी को समान अधिकार प्रदान करने के लिए समता के प्रावधानों की साथ-साथ उन लोगों की सुविधा के लिए समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

समानता के लिए प्रयास

ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय जनता ने न केवल अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, बल्कि समान रूप से व्यवहार किए जाने हेतु संघर्ष किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो हमारे नेताओं के सामने असमानता सबसे बड़ा चिंता का विषय बनकर सामने आया था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी लोगों को समानता प्रदान करने के लिए भेदभाव की समाप्ति के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए। संविधान में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाए।

समानता के आयाम

समानता के तीन प्रमुख आयाम होते हैं–राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक।

राजनीतिक समानता–भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भागीदारी लेने का अधिकार प्राप्त होता है।

सामाजिक समानता–सामाजिक समानता से तात्पर्य है समाज में सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा। धर्म, जाति, भाषा लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए समाज के सभी सदस्यों को जीवन की कुछ न्यूनतम तिथियों की गारंटी देना आवश्यक होता है। जैसे पर्याप्त सेवा, अच्छी शिक्षा का अधिकार, पर्याप्त पोषण और न्यूनतम मजदूरी। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे रीति-रिवाज हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं को विद्यालय और उच्च शिक्षा से रोका जाना, ऐसे मामलों में राज्यों को विद्यालयी रोजगार में महिलाओं के प्रति भेदभाव या उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने, महिलाओं को शिक्षा या व्यवसाय प्रारंभ

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और अन्य उपायों की खोज करना राज्य का कार्य होता है।

आर्थिक समानता–लोकतांत्रिक राज्य में संविधान के माध्यम से सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जाता है। उन लोगों को मौका मिले जिनके पास प्रतिभा है और वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका चाहते हैं। राज्य का प्रमुख कार्य है व्यक्ति या वर्ग के बीच संपत्ति अर्थात आय की असमानता को दूर करना।

शिक्षा और समानता

भारतीय संविधान निर्माता भारत में फैली हुई व्यापक गहरी आसमानताओं से परिचित है और लोकतंत्र की राजनीतिक सीमा के प्रति काफी सचेत थे। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के अंतिम संबोधन में स्पष्ट करते हुए कहा–

समानता और बंधुत्व के बिना लोकतंत्र–भारत एक ऐसा देश है, जहां पर सामाजिक धरातल पर कई प्रकार की समानताएं विद्यमान हैं। आर्थिक धरातल पर हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों के पास अपार संपत्ति है, जबकि देश की आधे से ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करती है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसमें सभी नागरिकों को समान राजनीतिक समानता प्रदान की गई है। हर एक आदमी एकमत और एकमत मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे, जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को और स्वीकार करना जारी रखेंगे। भारतीय संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए प्रावधान है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई आधार नहीं होता है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक प्रगति की अवधारणा एवं न्याय संगत और समतामूलक समाज को उनकी दृष्टि में शिक्षा के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है। समाज के सभी वर्गों की शिक्षा तक पहुंच और क्षमता सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का केंद्र-बिंदु रहा है।

अशिक्षा राजनीतिक भागीदारी के निम्न स्तर और मांगों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होती है। समाज में फैली हुई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और महामारी उसे शिक्षा के माध्यम से निपटा जा सकता है। महिलाएं अगर शिक्षित होंगी, तभी वे अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक हो सकती हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति और समाज में बदलाव आ सकता है।

मौलिक अधिकार और शिक्षा

शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति के कुछ अधिकारों को सरकारों के द्वारा हमेशा मान्यता दी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में अधिकारों के महत्त्व को समझा और ब्रिटिश शासकों को लोगों को अधिकार देने की मांग की, स्वतंत्र भारत के संविधान में अधिकारों को सूचीबद्ध किया और उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। मौलिक अधिकारों के कुछ अनुच्छेदों में शिक्षा पर विशेष प्रभाव है।

अनुच्छेद 14–विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण देना। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शक्तियों का उपयोग बिना किसी भेदभाव से किया जाए। शिक्षा के संबंध में प्रवेश नियमों सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाता है, जिससे सभी की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

अनुच्छेद 15–अनुच्छेद 15 में या व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इस अनुच्छेद के माध्यम से शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित की गई है।

अनुच्छेद 15 (4) में सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 16 (1) में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत सरकार के पास या शक्ति है कि वह किसी भी पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण कर सकती है।

अनुच्छेद 21 (अ)–इसके अंतर्गत घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। इसका निर्धारण करना राज्य का काम है। प्रारंभिक संविधान में शिक्षा को संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया था।

अनुच्छेद 24–अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, कारखाने अथवा अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 28–अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा ला दी जाए। हालांकि या व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है।

अनुच्छेद 46–अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से बचाना है।

अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतियों के लोग रहते हैं और सामाजिक आर्थिक कारकों के मामले में विभाजित हैं। भारतीय लोग जाति भाषा और साहित्य, भौगोलिक, पर्यावरण, इतिहास, धर्म, आर्थिक हित और सांस्कृतिक एकता से एकता है। ऐसे देश में अल्पसंख्यकों के पूर्वाग्रह और पहचान की रक्षा करना जरूरी होता है।

1. अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग या कोई भाग जिसकी एक अलग भाषा लिपि या अपनी संस्कृति हो उसे स्वयं को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा।

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

2. राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को मना नहीं किया जाएगा या केवल धर्म, वंश, जाति या इनमें से किसी के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 30 में प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को या अधिकार है कि वह अपने बच्चों को अपनी ही भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं–

(1 क) खंड–(1 क) का सभी अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों को न तो रोकेंगे और न ही निरस्त करेंगे। राज्य सरकार अल्पसंख्यक द्वारा शायद किसी भी शैक्षणिक संस्थान को आर्थिक सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं करेगी।

अनुच्छेद 350 के तहत संविधान सभी लोगों को अधिकार की गारंटी देता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में यह राज्य का प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। भारतीय संविधान के साथ में संशोधन में भाषाई अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए दो अनुच्छेद जोड़े गए हैं। प्रथम चरण में 35(क) के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा लेने का अधिकार है। दूसरे चरण में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति की जाएगी। विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का विश्लेषण करे और उन विषयों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रपति को निर्दिष्ट करे और प्रतिवेदन दे। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख पाएंगे और उन्हें सरकारों को भेजे जाएंगे।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एवं शिक्षा

भारतीय संविधान के निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि एक स्वतंत्र भारत को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संविधान के निर्माताओं ने समाज में फैली हुई व्यापक असमानता को दूर करने के लिए विशेष नीति निर्देश या दिशानिर्देश आवश्यक थे, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। ये सिद्धांत राज्य सरकार के लिए निर्देश हैं। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के लिए, शिक्षा, पानी और बेरोजगारी बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता अथवा अन्य अयोग्य अभाव के मामले में सार्वजनिक संहिता के अधिकार को हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है। इस अनुच्छेद में देश में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नींव रखी गई है। भारतीय संविधान में 86वें संशोधन करके अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्षों की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों का एक मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य द्वारा बनाए गये किसी भी संस्थान में जाति, मूल, वंश या भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 15, 29(2) 15 (3) 46 और 29 (1) देश के सभी भागों में भारत सरकार के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी, विशेष, पिछड़े क्षेत्रों या राज्यों को विशेष सहायता देने हेतु जिम्मेदारी सौंपते हैं।

अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। राज्य लोगों की कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और धार्मिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।

भाषा नीति

संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि लोगों को अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता हो और किसी एक भाषा का पालन करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

शिक्षा का माध्यम

भारत एक बहुभाषी समाज है, जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा की अधिकतम पहुंच के लिए मातृभाषा के महत्त्व को मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 350 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रतीक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करवाने के लिए अवश्य किया जाना उचित समझता है। भारत में शिक्षा से संबंधित सबसे पुराने वैधानिक निकाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 1940 के दशक विद्यालय शिक्षा में भाषाओं पर चर्चा शुरू की। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार पांच प्रमुख मुद्दों की पहचान पर ध्यान देने की आवश्यकता है–

1. विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सिखाई जाने वाली भाषाओं की संख्या।
2. हिंदी का स्थान और भूमिका।
3. अंग्रेजी का स्थान और भूमिका।
4. दूसरी और तीसरी भाषा (ओं) का परिचय।
5. विद्यालय में संस्कृत और सूक्ष्म भाषाओं का शिक्षण।

त्रिभाषा सूत्र

शिक्षा आयोग ने विद्यालय में भाषाओं के अध्ययन को एक व्यापक दृष्टिकोण देने के लिए ठोस सिफारिशें की हैं, जिसमें आयोग ने संशोधित त्रिभाषा की सिफारिश की है, यह है–

1. क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा।
2. संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की सहयोगी आधिकारिक भाषा, जो लंबे समय से चली आ रही हो या मौजूद हो।

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

3. एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा के अंतर्गत नहीं आए और अन्य जो शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है।

1986 की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति ने कहा कि विद्यालय शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक चरणों में क्षेत्रीय भाषाओं का पहले से ही उपयोग हो रहा है। अत: मध्य स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र को कठोरता से अपनाना चाहिए। इसमें एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल होता है। प्राथमिकता में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त दक्षिण भाषाओं से एक और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी का अध्ययन हो सकता है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विद्यालय स्तर पर मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण के माध्यम के उपयोग की वकालत की है।

संघीय ढांचा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है और भारतीय संघ संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान में द्वितीय शासन प्रणाली के ढांचे को ग्रहण किया है। द्विस्तरीय शासन प्रणाली में संघ सरकार और राज्य सरकार शामिल होती हैं। बाद में संविधान में संशोधन करके भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली स्थापित की गई है। उच्च स्तर पर केंद्र सरकार मध्य स्तर राज्य सरकार और निम्न स्तर पर पंचायती राज शासन प्रणाली है। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायक शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है–संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन के अंतर्गत विकेंद्रीकरण किया गया है। संघ सूची में 99 विषय हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों को शामिल किया गया है, जैसे–रक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे आदि इन विषयों पर संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है। राज्य सूची में 61 विषय है, जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधान मंडलों के पास है। राज्य सूची में स्थानीय महत्त्व के विषय है, जैसे–पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। समवर्ती सूची में सामान्य हित के विषय शामिल होते हैं।

संघ सूची–संघ सूची में 99 विषयों में से विशेष शिक्षा से संबंधित होते हैं।

प्रविष्टि 13–अन्य देशों के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना।

प्रविष्टि 62–राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, शाही युद्ध स्मारक, विक्टोरिया मेमोरियल और भारतीय युद्ध स्मारक या इन जैसी किसी भी अन्य राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान, जिन्हें सरकार के द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित की जाती है।

प्रविष्टि 63–इसके अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था के रूप में माना जाता है।

प्रविष्टि 64–ऐसे वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा के संस्थान, जिन्हें सरकार के द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से कानून के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था के रूप में घोषित हों।

प्रविष्टि 65–केंद्रीय एजेंसियां और संस्थान विशेष अध्ययन या अनुसंधान को बढ़ावा देने अपराध की जांच का पता लगाने में वैज्ञानिक तकनीकी सहायता का प्रयोग किया जाए।

प्रविष्टि 66–उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों में मानकों का समन्वय करना और निर्धारण करना।

राज्य सूची–राज्य सूची की 61 प्रविष्टियों में दो का संबंध शिक्षा से है, जैसे–

प्रविष्टि 11 और प्रविष्टि 12 के अंतर्गत वर्णन है। विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा 63, 64, 65, 66 की संघ सूची के प्रावधानों के अधीन है और राज्य सूची की प्रविष्टि 25 राज्य का विषय होना चाहिए। पुस्तकालय संग्रहालय एवं अन्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाएं राज्य अधिकार क्षेत्र में रखने की बात करते हैं।

समवर्ती सूची–समवर्ती सूची की 52 प्रविष्टियों में से पांच प्रविष्टियां शिक्षा से संबंधित हैं।

प्रविष्टि 20–इसमें आर्थिक और सामाजिक नियोजन का वर्णन होता है।

प्रविष्टि 25–इसका संबंध तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय व्यावसायिक एवं श्रम के तकनीकी प्रशिक्षण सहित शिक्षा से होता है।

प्रविष्टि 262–इसका संबंध कानूनी चिकित्सा और अन्य देशों से होता है।

प्रविष्टि 28–धर्मार्थ और दान संस्थानों से संबंधित होता है।

प्रविष्टि 39–इसका संबंध समाचार-पत्र, किताबों और प्रिंटिंग प्रेस से होता है। मूल संविधान में शिक्षा को विधायी रूप से राज्य सूची में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है।

मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा

मूल संविधान में मौलिक अधिकारों में शिक्षा का प्रावधान नहीं था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में तीन परिवर्तन किए गए हैं–

1. अनुच्छेद 21 (अ)–इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा।

2. अनुच्छेद 45–इसके तहत 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा के प्रबंध करने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।

3. अनुच्छेद 51–मौलिक कर्त्तव्यों की सूची में सम्मिलित किया गया कि प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। वर्ष 2009 में बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया गया था, जिसे 1 अप्रैल, 2010 को लागू किया गया।

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com